कवि–सम्मेलन

लेखक
डा0 रामशंकर द्विवेदी, ऐडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद

उच्च न्यायालयों की स्थापना ने भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी भाषा का समावेश कर दिया । न्याय का सारा कार्य उच्च न्यायालय में एक मात्र अंग्रेजी के माध्यम से ही होने लगा और अंग्रेजी का प्रभाव एवं प्रभुत्व इतना बढा कि न केवल न्यायालय की कार्यविधियों में ही, अपितु उनकी सीमा के अन्तर्गत होने वाले अन्य व्यवहारों में भी अंग्रेजी का ही प्रयोग होने लगा । परिणाम यह हुआ कि प्रयाग उच्च न्यायालय में भी इस सौ वर्ष में जो सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम हुए उनका माध्यम अंग्रेजी ही रही ।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, परन्तु भाषा सम्बन्धी कोई परिवर्तन इस उच्च न्यायालय में नहीं हुआ । 1950 ई0 में संविधान के प्रवर्तन होने पर भी इस दिशा में स्थिति ज्यों की त्यों रही । भाषा सम्बन्धी ऐतिहासिक घटना प्रथम बार 1955 में उस समय घटी जब न्यायपीठ से न्यायमूर्ति श्री विष्णुदत्त भार्गव ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की । उच्च न्यायालय में न्याय के आसन से इसके पूर्व हिन्दी के शब्द कभी भी उच्चारित होते नहीं सुने गये थे । तत्पश्चात न्यायमूर्ति श्री हरिश्चन्द्रपति त्रिपाठी एवं अन्य कई न्यायमूर्तियों ने भी हिन्दी ही में शपथ ग्रहण की ।

संविधान– प्रवर्तन के 15 वर्ष पश्चात, हिन्दी के भारत की राष्ट्रभाषा होने की घोषणा का लाभ उठाते हुए 27 जनवरी, 1965 को प्रथम बार शुद्ध हिन्दी में तर्क प्रस्तुत करने का सौभाग्य इन पंक्तियों के लेखक ने प्राप्त किया । उसके अनन्तर भी अब दण्ड–व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणो को हिन्दी माध्यम द्वारा व्यक्त करने का प्रयास इस लेखक द्वारा चलाया जा रहा है । परन्तु अन्य अभिभाषकों ने इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है और यह प्रयत्न अपवाद–स्वरूप ही है । उच्च न्यायालय के नियमों ने अवश्य इस प्रकार की अनुमति दे दी है कि अभिभाषक अपने तर्क हिन्दी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं । हिन्दी में लिखे हुए अभिलेखों के अंग्रेजी में अनूदित होने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है ।

तथापि उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह में हिन्दी कवि–सम्मेलन का प्रस्ताव एक साहस का कार्य था । हर्ष का विषय है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक न्यायमूर्ति श्री कुंवर बहादुर अस्थाना ने इसका स्वागत किया और इस लेखक को आयोजन के हेतु कार्यभार सौपा । त्रिदिवसीय शताब्दी समारोह का अंतिम दिन 27 नवम्बर इस सम्मेलन के लिये निश्चित किया गया । समारोह के सभी कार्यक्रम अत्यन्त गौरवपूर्ण स्तर पर किये जा रहे थे, अतएव उनकी अनुरूपता लाने के लिये कवि सम्मेलन भी अखिल भारतीय स्तर का आयोजित किया गया । हिन्दी के सभी लब्धप्रतिष्ठ कवियों को आमंत्रण भेजा गया और उच्च कोटि के कवियों ने पधार कर कवि सम्मेलन की श्रीवृद्धि की । इस दिशा में न्यायमूर्ति श्री हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी का सहयोग अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुआ, क्योंकि बहुत से कवि उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण ही इस अवसर पर प्राप्त हो सके ।

निर्धारित तिथि में रात को 9 बजे समारोह के लिए विशेष रूप से समलंकृत प्रांगण में कवि–सम्मेलन का उत्सव प्रारम्भ हुआ। न्यायमूर्ति श्री हरिश्चन्द्र पति त्रिपाठी ने सभापति का आसन ग्रहण किया और कवि–सम्मेलन के संचालन का भार सौंपा गया इस लेखक को । माननीय त्रिपाठी जी ने अपने अत्यन्त सारगर्भित भाषण में लक्षण ग्रन्थों का

उदाहरण देते हुए काव्य के लोकोत्तर आनन्द की चर्चा की तथा काव्य की उत्कृष्ट परम्पराओं का उल्लेख करते हुए समागत कवियों का स्वागत किया । इस लेखक द्वारा देववाणी में सरस्वती वन्दना पढने के पश्चात् काव्य की सरस स्त्रोतस्विनी का प्रवाह प्रारम्भ हुआ । सौभाग्य की बात थी कि विभिन्न रसों तथा वादों के प्रतिनिधि कवि विद्य मान थे ।

राष्ट्रकवि श्री सोहनलाल जी द्विवेदी की उद्बोधक कविताओं ने एक ओर यदि खडी बोली की प्रान्जलता प्रदर्शित की तो दूसरी ओर श्री अमृतलाल जी चतुर्वेदी की ब्रजभाषा–माधुरी ने लालित्य बिखेर दिया । श्री 'बेधडक बनारसी', 'राहगीर' तथा 'सूँड' की कविताओं ने हास्य रस से यदि श्रोताओं को लोटपोट कर दिया तो डा0 आनन्द तथा चन्द्रशेखर मिश्र की वीर रस की कविताओं ने ओजस्वी उत्साह का भी संचार किया । डा0 शम्भूनाथ सिंह के सुकुमार गीतों के स्वर तथा उमाकान्त मालवीय की कोमल भावनाओं से भीगी पंक्तियां वातावरण में विमुग्धता का सृजन करती रहीं । उरई के एडवोकेट श्री शिवराम श्रीवास्तव तथा ललितपुर के एडवोकेट श्री 'तन्मय' बुखारिया ने उच्च न्यायालय की शताब्दी पर अपनी कवितायें पढीं जो सामयिक होते हुये भी शाश्वत गुणों से परिपूर्ण थीं । इसी विषय पर श्री गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव, सिविल जज, बरेली की छोटी सी कविता 'नाविक के तीर' के समान ही 'गम्भीर घाव' करने वाली थी । इन तीनों कविताओं के लिए उसी स्थान पर यह निर्णय किया गया कि इनका समावेश समारोह–ग्रन्थ में किया जाय ।

इस प्रकार कविता का यह सरस सागर 3 बजे रात्रि तक लहराता रहा और इतनी रात्रि में जब सम्मेलन की समाप्ति का उद्घोष हुआ तो जन–समूह को जैस अच्छा न लगा हो, क्योंकि उस समय भी यह आकांक्षा थी कि यह रस–प्रवाह अभी और चले ।

कवि–सम्मेलन के अन्त में न्यायमूर्ति श्री कुंवर बहादुर अस्थाना ने आगत कवियों तथा श्रोताओं को धन्यवाद दिया और इतने सफल आयोजन के लिये सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी । कवि–सम्मेलन की समाप्ति के साथ ही समारोह की समाप्ति हुई ।

Poems
Recited during Centenary Celebrations at Allahabad
----

(1)
प्रागराज महिमा

पं0 अमृत लाल चतुर्वेदी, एडवोकेट, आगरा

महिमा कहां लौं कहै कोऊ प्रागराज भूमि, मातवी, जवाहर जो तेज जन्म देनी है ।
भऐ हैं अनेक गुनी पत्रकार, कलाकार, शिक्षक, वकील, धाम न्याय उच्च श्रेनी है ।
तापै सुख देजी, दु:ख दारिद दरैनी पैनी,पावन, पुनीत, पुन्य सरग नसेनी है ।
बेनी जमना जी, हिय गंग, पग सरस्वती, सुचि जगदम्बा जहां राजति त्रिवेनी है ।

---

(2)

न्यायालय

श्री 'तन्मय' बुखारिया, एडवोकेट, ललितपुर, झांसी

अन्तर्द्वन्द–महाभारत में कभी हार है, जय है,
धर्म, ज्ञान, दर्शन–तीनों धृतराष्ट्र, न्याय संजय है ।
नीति–वधू पर पुरूष प्रशासन, राजनीति हरजाई,
घर के किसी बडे–बूढे सा प्रहरी न्यायालय है ।।
विधि–विधान के व्यवहारों के कूलों में बहता है,
एक विजेता, एक पराजित, भली बुरी सहता है ।
दु:शासन की बांह पकड कर वर्जित करने वाला,
नीति–द्रौपदी के अंचल की गरिमा को गहता है ।।
बचपन से ही अग्नि–परीक्षाओं का अभ्यासी है,
प्रजातंत्र का यह प्रयाग है, वृन्दावन, काशाी है ।
सबका होकर भी सबसे निर्लिप्त, निस्पृही निर्भय,
न्यायालय जब से जन्मा है, तब से संन्यासी है ।।
सीता को घर से निकालने वाला राम यही है,
जिस मुख से गीता निकली थी वह घनश्याम यही है ।
सम्राटों को सिंहासन से वंचित करने वाला,
पंचों के द्वारा परमेश्वर का प्रैगाम यही है ।।
कभी अर्थ ने, कभी काम ने, इसको आंख दिखाई,
कभी–कभी सत्ता खुद पैदल चल कर इस तक आई ।
कभी मेनका, कभी होलिका–दोनों रूप दिखाये,
पर यह विचलित हुआ न इसने ऊपर नजर उठाई ।।
परिवादों ने भृकुटि तानकर कभी इसे धमकाया,
घर के भेदी स्वयं अभावों ने अक्सर समझाया ।
सब्ज बाग दिखलाये इसको पतनोन्मुख तर्को ने,

लेकिन बुद्ध–प्रबुद्ध न इसका स्वाभिमान भरमाया ।।
राजतंत्र से प्रजातंत्र तक पंथ बहुत पथरीला,
लेकिन इसने हार न मानी, नयन न कोई गीला ।
एकतंत्र ने कभी–कभी हथकडियां तक पहना दीं,
हाथ बँधे, पर झुका न इसका शीश कभी गर्वीला ।।
वैसे इसका संसद से है सूत्र भाष्य का नाता,
किन्तु कभी कृतिकार स्वयं अपनी कृति से टकराता ।
ऐसे भी अवसर आये हैं, जब यह सिद्ध हुआ है––
संविधान के निर्माता से कहीं बडा व्याख्याता ।।
मनु का मानस–पुत्र अकेला, याज्ञवल्क्य ने पाला,
कभी अशोकों, कभी अकबरों ने साभार सँभाला ।
इन्द्रप्रस्थ से रोम, रोम से लंदन तक जा पहुंचा,
पश्चिम ने अपना कह कर फिर नये रंग में ढाला ।।
और हमारा हमें दिया यों, जैसे नहीं हमारा,
हमने भी उनका ही कह कर स्वागत से स्वीकारा ।
अब तो बडा दीर्घवंशी यह दुनिया भर में पैठा,
तरह–तरह से अपनेपन में सबने इसे संवारा ।
किन्तु, मूलतः सबकी आत्मा एक तत्व निर्मित है,
भाषा अलग, भावना लेकिन सबकी ही जन–हित है ।
पद्धति केवल पन्थ न्याय के मंदिर की मंजिल तक,
न्यायाधीश कहीं का भी हो, न्यायमूर्ति वन्दित है ।।
सरस्वती का हंस, ज्ञान का साधन–संवाहन है,
युधिष्ठिरों की परम्परा का यह स्वरूप पावन है ।
जहांगीर के मनोद्वन्द्व का समाधान यह अभिनव,
यह अधर्म पर धर्म–विजय का मूर्तिमान ज्ञापन है ।।
अनाचार के अंधकार में ज्योतिष्पिण्ड सतन है,
तूफानों से भरे सिंधु में यह माँझी का मन है ।
विधि–शासित इस धरती पर हम जन्में, भाग्य हमारे,
न्यायालय के इस आँगन को सौ–सौ बार नमन है ।।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

श्री शिवराम श्रीवास्तव, ऐडवोकेट, उरई

चमन लूट लेते दुशासन दमन के,
    अगर न्याय की पीठिका यह न होती ।
चहूं ओर होता घनेरा अँधेरा,
    अगर न्याय की दीपिका यह न होती ।।
नगर में, डगर में, गली गांव घर में,
    सजग न्याय के दीप का है उजेला ।
जगी आज आस्था सबल न्याय पर जो,
    उसी के नमस्कार की आज बेला ।।
सुमन मुसकराते न अलि गुनगुनाते,
    अगर न्याय की बीथिका यह न होती ।
चमन लूट लेते दुशासन दमन के,
    अगर न्याय की पीठिका यह न होती ।। 1 ।।
जला न्याय का दीप सौ वर्ष पहिले,
    निरन्तर रही उसकी बढती लुनाई ।
पडे झेलने भी झकोरे अनेकों,
    मगर गर्व किन्चित न लौ डगमगाई ।।
सुनिर्भीक वातावरण में यहां पर,
    पलीं न्याय की लाडली मान्यतायें ।
चमन में अमन का न होता समागम,
    अगर न्याय की दीठिका यह न होती ।।
चमन लूट लेते दुशासन दमन के,
    अगर न्याय की पीठिका यह न होती ।। 2 ।।
हमें गर्व है न्याय–मन्दिर पर अपने,
    जहां गंग–यमुना का संगम सुगम है ।
हमें गर्व है न्याय की मूर्तियों पर,
    प्रतिष्ठायें जिनकी रहीं उच्चतम हैं ।।
हमें गर्व है न्याय के साधकों पर,
    जो विधि भारती के विचारक परम हैं ।
मुझे गर्व है गीत गायन पर अपने,
    कि जिसके स्वरों की सरसता न कम है ।।
समारोह रहता अधूरा सदी का,
    अगर काव्य की गीतिका यह न होती ।
चमन लूट लेते दुशासन दमन के,
    अगर न्याय की पीठिका यह न होती ।। 3 ।।

न्याय के प्रति

श्री गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव, सिविल जज, बरेली

नागफनी से घिरे हुए तुम तुलसी के दल ।
कल्मषता के बीच बर रहे, तुम गंगा–जल।।

एक तुम्हारे ही बल पर जीवित मानवता ।
एक तुम्हारे ही भय से सहमी दानवता ।।
आततायियों पर पडती तुम दृष्टि बक्र हो ।
तुम गीता के कर्मयोग, तुम कृष्ण–चक्र हो ।।
तुम निर्बल के राम ! पिता तुम, तुम्हीं मित्र हो ।
तुम पवित्रता, निडर–न्याय के मूर्त्त–चित्र हो ।।
तुम्हीं मूल आधार देश के संविधान के ।
तुम प्रज्जवलित प्रकाश–दीप जनतंत्र प्राण के ।।
एक तुम्हारे धीरज से ही देश धीर है ।
तुम जीवित हो इसीलिए जीवित शरीर है ।।
कोटि–कोटि कंठों से स्वर बस एक बहेगा ।
अमर रहो तुम ! देश तुम्हीं से अमर रहेगा ।।